न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्याः—111/2013

गंगाराम पुत्र रामहंस, जाति जाट, निवासी ग्राम चक दौलतपुर, तहसील व जिला भरतपुर। —वादी

बनाम

1. मुरारी पुत्र रघुवीर } जाति जाट, निवासी ग्राम चक दौलतपुर
2. रामू पुत्र मुरारी } तहसील व जिला भरतपुर।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम,1955

निर्णय

दिनांकः— 10—12—2018

वादी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम चक दौलतपुर तहसील व जिला भरतपुर स्थित हाल आराजी खसरा नंबर 187/0.35 हैक्टेयर का वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है।

खसरा नंबर 187/0.35 पर वादी 3/4 हिस्से पर काश्त करता है व 1/4 हिस्से पर वादी के ट्रैक्टर व ट्रॉली खड़े रहते हैं। उक्त आराजी के बगल में ही चिपटेनुमा आराजी खसरा नंबर 186 प्रतिवादीगण की खातेदारी में है। प्रतिवादी सं0 1 खसरा नंबर 187 व 186 के बीच नींव तोड़कर खसरा सं0 187 के कुछ भाग पर जबरन कब्जा करना चाहता है। जिससे उनका कोई सरोकार व संबंध नहीं है एवं हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्रतिवादीगण को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हासिल नहीं है। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 16.09.2013 को विवादित आराजी पर खुलेआम धमकी दी है कि वह खसरा नंबर 187 के कुछ हिस्से पर जबरन कब्जा कर लेगा, जबकि उसे किसी प्रकार का अधिकार हासिल नहीं है। इसी कारण वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री हुक्म इम्तनाई दावामी जारी करा पाने का अधिकारी है।

इस प्रकार वादी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नंबर 187 रकबा 0.35 हैक्टे0 स्थित ग्राम चक दौलतपुर तहसील व जिला भरतपुर पर डिक्री हुक्म इम्तनाई दावामी वहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की पारित की जावे कि प्रतिवादी विवादित आराजी पर कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत बेजा न करें और प्रतिवादी अन्य कोई ऐसा कृत्य न करे जिससे वादी के हक व हकूकों पर प्रतिकूल असर पड़े। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में अपना शपथ पत्र एवं संवत् 2067–2070 की जमाबंदी प्रस्तुत की है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन से सूचित होने के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 07.09.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी में स्वयं वादी गंगाराम का शपथ पत्र दिनांक 21.03.2018 को पेश हुआ। अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर दिनांक 21.03.2018 को साक्ष्य वादी बन्द किया जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली पर अभिभाषक वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए दावा वादी डिक्री किये जाने का अनुरोध करते हुए अपनी बहस पूर्ण की। वादी ने अपने दावा में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 187/0.35 के 3/4 हिस्से पर वादी काश्त करता है व 1/4 हिस्सा पर वादी के ट्रैक्टर–ट्रॉली व ट्रॉला खड़े रहते हैं। विवादित आराजी के बगल में प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी का खसरा नंबर 186 है जो खसरा नंबर 187 से चिपटमा है। खसरा नंबर 187 व 186 के मध्य मेड़ पर प्रतिवादी सं0 1 नींव खोदकर निर्माण करना चाहता है। किन्तु यह बात सही है कि खसरा नंबर 186 और 187 चिपटमा हैं, लेकिन वादी ने खसरा नंबर 186

प्रतिवादी संख्या 1 मुरारी पुत्र रघुवीर का बताया है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध वाके ग्राम चक दौलतपुर की जमाबंदी संवत् 2067–2070 के अनुसार खसरा नंबर 186 गंगाप्रसाद, ज्योतिप्रसाद, बनवारी लाल पुत्रगण खजानी हिस्सा बराबर 1/3 रग्गो, नवाबसिंह पुत्रगण छिद्दा हिस्सा बराबर 2/3 जाति जाट साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार खसरा नंबर 186 राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रतिवादीगण का नहीं होना पाया जाता है। वादी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि खसरा नंबर 187 के 1/4 हिस्से पर उसके ट्रैक्टर व ट्रॉली खड़े रहते हैं। इस प्रकार वादी द्वारा ही उक्त हिस्से पर स्वयं के द्वारा अकृषि कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का वादी के खातेदारी की आराजी में दखलंदाजी किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

वादी अपने दावा को क्लीन हैण्ड से लेकर अदालत में उपस्थित नहीं हुआ है और न ही वादी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है, जिससे सिद्ध होता हो कि प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 187 में दखलंदाजी करते हैं।

इस प्रकार वादी अपने दावा को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहा है। साक्ष्य के अभाव में दावा वादी काबिल खारिज के है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादी साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 10.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official